म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स,किसान भवन,जेल रोड भोपाल

म0प्र0कृषि उपज मंडी (भूमि एंव संरचना आवंटन) नियम 2009 में संशोधन हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 15.12.2016 का कार्यवाही विवरण ।

....

म0प्र0कृषि उपज मंडी (भूमि एंव संरचना आवंटन) नियम 2009 में संशोधन हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 15.12.2016 को मंडी बोर्ड मुख्यालय के सभाकक्ष में आयोजित हुई जिसमें निम्नानुसार सदस्य उपस्थित रहें ।

1. अपर संचालक(वित्त) – सदस्य
2. मुख्य अभियंता – सदस्य
3. संयुक्त संचालक, नियमन – सदस्य
4. संयुक्त संचालक मंडी प्रांगण एवं नवीन मंडी– सदस्य
5. संयुक्त संचालक, आंचलिक कार्यालय सागर– सदस्य
6. कार्यपालन यंत्री, तकनीकी संभाग सागर – सदस्य
7. उप संचालक, प्रांगण मंडी बोर्ड – सदस्य सचिव
8. सचिव, कृषि उपज मंडी समिति सीहोर – सदस्य
9. सचिव, कृषि उपज मंडी समिति जबलपुर – सदस्य
10. सचिव, कृषि उपज मंडी समिति इंदौर – सदस्य
11. सचिव, कृषि उपज मंडी समिति देवास – सदस्य
12. श्री हाजी अब्दुल रकीब व्यापारी सदस्य कृषि उपज मंडी समिति भोपाल – सदस्य,

समिति की बैठक में म0प्र0कृषि उपज मंडी(भूमि एंव संरचना का आवटंन) नियम 2009 में एजेण्डा अनुसार संशोधन के निम्न बिन्दुओं पर चर्चा हुई ।

(1)नियम 3 में, उपनियम (2) के पश्चात् निम्नानुसार परन्तुक स्थापित किया जाय;

''परन्तु मंडी प्रांगण/अन्य जगह कृषि उपज से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन के लिये संचालित की जाने वाली सेण्ड्रीशाप के आवंटन के लिये मंडी समिति की अनुज्ञप्ति धारण करने की बाध्यता नही होगी''

(2) नियम 3 के उपनियम (5) के पश्चात निम्नानुसार परन्तुक स्थापित किया जाय ;
''परन्तु भू–खण्ड या संरचना का आवंटन कृषि तकनीक या कृषि विज्ञान से संबंधित परामर्श केन्द्र या उससे सम्बद्ध कार्यकलापों के उपयोग हेतु कृषि स्नातक के लिये नियम 3 के उपनियम (2) के परन्तुक के अनुरूप मंडी समिति की अनुज्ञप्ति धारण करने की बाध्यता नहीं होगी।''

(3) नियम 3 के उपनियम (6) के पश्चात् परन्तुक को विलोपित कर निम्नानुसार परन्तुक स्थापित किये जाये ;

''परन्तु कृषि स्नातक को कृषि परामर्श केन्द्र संचालित करने व कृषि आदान के कय विकय के प्रयोजन के लिये आवंटित किये जाने वाले भू–खण्ड की कीमत,

कलेक्टर द्वारा निर्धारित मूल्य से 50 प्रतिशत कम कीमत को, आरक्षित कीमत मानते हुए, निर्धारित की जावेगी''

''परन्तु यह और कि भू–खण्ड / दुकान आवंटन के लिये एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर, आवंटन नीलाम पद्धति से किया जायेगा'';

''परन्तु यह और भी कि राज्य सरकार / भारत सरकार के किसी विभाग या अर्द्धशासकीय संस्था, यथा निगम / मंडल / मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत सहकारी संस्थाओं को भूखण्ड / संरचनाओं का आवंटन प्रबंध संचालक के पूर्व अनुमोदन के पश्चात् तत्समय कलेक्टर द्वारा निर्धारित कीमत / मूल्य पर, उपनियम (7) के परन्तुक के अनुसार, कीमत का निर्धारण कर ही किया जायगा।''

(4) नियम 3 के उपनियम (7) के पश्चात् निम्नानुसार परन्तुक अन्तः स्थापित किये जाय ;

''परन्तु मंडी समिति के अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों / प्रसंस्करणकर्ताओं को भूखण्ड की आरक्षित कीमत / मूल्य का निर्धारण तत्समय कलेक्टर द्वारा निर्धारित कीमत / मूल्य पर, निम्नानुसार छूट देकर, कीमत का निर्धारण किया जावेगा :–

मंडी की श्रेणी	आरक्षित कीमत में दी जानेवाली छूट
''क'' वर्ग	25 प्रतिशत
''ख'' वर्ग	30 प्रतिशत
''ग'' वर्ग	35 प्रतिशत
''घ'' वर्ग	40 प्रतिशत

तथापि, राज्य सरकार उपर्युक्तानुसार निर्धारित कीमत / मूल्य में आगे और रियायत दे सकेगी।''

''परन्तु यह और कि वित्तीय वर्ष में नीलाम / प्रस्थापनाओं की प्रकिया एक से अधिक बार करने के बाद भी यदि आवंटन की प्रकिया उसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण नहीं हो पाती है, तो मंडी समिति, नियम 7 के उपनियम (3) के स्पष्टीकरण (एक) के अनुसार भूमि की प्राक्कलित कीमत में 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए आवंटन की प्रकिया को अगले वर्ष में पूर्ण कर सकेगी।''

(5) नियम 4 में, उपनियम (2) के पश्चात् निम्नानुसार नया उपनियम (3) तथा उसके बाद परन्तुक अन्तः स्थापित किया जाय ;

''(3) कृषि तकनीक से संबंधित परामर्श केन्द्र व कृषि आदान के क्रय–विक्रय के कार्यकलाप संचालन करने हेतु कृषि स्नातक को, –

(एक) 'क' वर्ग मंडी में 5,
(दो) 'ख' वर्ग मंडी में 3,
(तीन) 'ग' वर्ग मंडी में 2 तथा
(चार) 'घ' वर्ग मंडी में 1,

भू–खण्ड / दुकान, आवंटन हेतु आरक्षित रखे जायेंगे;

"परन्तु कृषि स्नातक व्यक्ति को, कृषि आदानों जैसे, खाद, बीज तथा कीटनाशक, फफूंदनाशक आदि जैसे रसायनिक उत्पादनों के क्रय–विक्रय का व्यवसाय करने हेतु सक्षम प्राधिकारी से वैध अनुज्ञप्ति धारण करने की बाध्यता होगी। साथ ही, भू–खण्ड / दुकान आवंटन के बाद उसे तत्संबंधित विवरण मंडी समिति को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

परन्तु यह और कि पूर्ववर्ती परन्तुक में उल्लेखित अनुमति की वैधता समाप्त होने या सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त किये जाने की दशा में भूखण्ड / दुकान का आवंटन स्वतः निरस्त हो जावेगा।"

(6) (एक) नियम 7 में, उपनियम(3) में, स्पष्टीकरण के खण्ड(एक) में "और" शब्द विलोपित किया जाय ;

(दो) नियम 7 के उपनियम (3) के खण्ड (एक) के बाद निम्नानुसार परन्तुक अन्तः स्थापित किया जाय ;

"परन्तु राज्य सरकार / भारत सरकार के किसी विभाग या अर्द्धशासकीय संस्था, यथा निगम / मंडल / मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अधीन पंजीकृत सहकारी संस्थाओं को भूखण्ड / संरचनाओं की, नियम 3 के उपनियम (7) के प्रथम परन्तुक के अनुसार भूमि आबंटन की कार्यवाही की जायेगी। तथापि,राज्य सरकार, रियायती कीमत / मूल्य पर आबंटन के लिये अनुज्ञात करने के लिए सशक्त होगी"।

(तीन) उपनियम (3) में, स्पष्टीकरण में खण्ड (एक) के पश्चात् निम्नानुसार नया खण्ड (दो) अन्तः स्थापित किया जाय ;

"(चार) कृषि स्नातक के लिये आरक्षित भू–खण्ड / दुकान हेतु "भूमि की आरक्षित कीमत" से अभिप्रेत कलेक्टर द्वारा निर्धारित मूल्य से पचास प्रतिशत कम कीमत पर होगा।"

(7) (एक) नियम 10 में, उपनियम (7) में, खण्ड (एक) में, शब्द "में से एक विकल्प" विलोपित किये जाये ;

(दो) उपखण्ड (क) में, अंक व शब्द, "25 प्रतिशत के भीतर" के स्थान पर अंक व शब्द, "75 प्रतिशत से कम नहीं" स्थापित किया जाय; तथा इस उपखण्ड के बाद निम्नानुसार परन्तुक अन्तः स्थापित किया जाय ;

(तीन) खण्ड (दो) में, शब्द अपसेट कीमत "के 25 प्रतिशत के भीतर हो," के स्थान पर शब्द "से कम है, किन्तु 75 प्रतिशत से कम न हो," स्थापित किये जायें।

(8) नियम 20 के बाद इस प्रकार नियम "20—क" अन्तः स्थापित किया जाय ;

"20—क नियमों में स्पष्ट प्रावधान के अभाव में संबंधित मामलों का निराकरण :

(1) ऐसे मामलों में, जिनके निराकरण के लिये इन नियमों में अलग से कोई प्रावधान नही हैं उनके निराकरण के लिये मंडी समिति, अपने स्तर पर मामले के संबंध में प्रतिवेदन तैयार करवाकर विवेचना के साथ अपने विधि सलाहकार से अभिमत प्राप्त करेगी और अपने अभिमत तथा अनुशंसा के साथ प्रकरण, प्रबंध संचालक को प्रेषित करेंगी।

(2) प्रबंध संचालक, मंडी समिति की अनुशंसा के संबंध में प्रकरण की विशिष्टियों का परीक्षण कराकर उसके निराकरण हेतु न्याय निर्णायक की नियुक्ति हेतु राज्य सरकार को अपनी ओर से अनुशंसा करेगा

(3) राज्य सरकार, ऐसे प्रत्येक प्रकरण में किसी सेवा निवृत्त जिला न्यायाधीश को, न्याय निर्णायक के रूप में नियुक्त करेगी।

(4) न्याय निर्णायक द्वारा सम्बद्ध पक्षों की उपयुक्त सुनवाई कर प्रकरण का निराकरण किया जायगा। न्याय निर्णायक द्वारा प्रकरण का निराकरण मान्य करने या अमान्य करने का अधिकार राज्य सरकार को होगा तथा निराकरण अमान्य करने की दशा में राज्य सरकार, विवादित प्रकरण की सुनवाई कर उसके निराकरण के लिये दो विभिन्न न्याय निर्णायकों की नियुक्ति करेगी।

(5) न्याय निर्णायक की नियुक्ति की शर्ते राज्य सरकार द्वारा नियत की जायेंगी तथा प्रकरण पर न्याय निर्णायक की विधिक फीस तथा अनुषंगिक व्यय, बोर्ड द्वारा वहन किया जायगा।

प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों के मंडी प्रांगण/उपमंडी प्रांगण में केन्द्रीय भण्डार गृह निगम, राज्य भण्डार गृह निगम, एंव अन्य शासकीय/अर्ध्दशासकीय संस्था को भूमि 30 वर्ष की अवधि के लिये लीज पर तत्समय प्रचलित नियमों के तहत मंडी समिति व्दारा दी गई थी । उक्त भूमि के नवीनीकरण के संबंध में म0प्र. कृषि उपज मंडी समिति(भूमि एंव संरचना का आवंटन) नियम 2009 में सम्यक अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु चर्चा हुई ।

समिति की बैठक में हुई चर्चानुसार प्रतिवेदन/प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु संयुक्त संचालक म0प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय सागर सचिव कृषि उपज मंडी समिति देवास/सीहोर को नामांकित किया गया । नामांकित सदस्यों से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर प्रतिवेदन आगामी बैठक में विचार हेतु प्रेषित किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से पारित किया गया ।

संयुक्त संचालक व्दारा अनुमोदित ।

उपसंचालक(प्रांगण)
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/मंडी प्रांगण/विविध/46/8/1173 भोपाल, दिनांक 10/01/2017

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1/ निज सचिव, प्रबंध संचालक मंडी बोर्ड भोपाल ।
2/ अपर संचालक (वित्त),संयुक्त संचालक/उपसंचालक (प्रांगण/नियमन/विधि) मंडी बोर्ड मुख्यालय भोपाल ।
3/ मुख्यअभियंता, मंडी बोर्ड मुख्यालय भोपाल ।
4/ संयुक्त/ मंडी बोर्ड आंचलिक कार्यालय सागर ।
5/ कार्यपालन यंत्री ,तकनीकि संभाग सागर ।
6/ सचिव,कृषि उपज मंडी समिति भोपाल/सीहोर/जबलपुर/इन्दौर/देवास ।
7/ श्री हाजी अब्दुल रकीब व्यापारी सदस्य, कृ0उ0म0समिति भोपाल ।
8/ आदेश नस्ती ।

उपसंचालक(प्रांगण)
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल